न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 97 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

दिनेशकुमार पुत्र श्री केशाराम **बनाम** 1केशाराम पुत्र सोनाराम वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम चौधरी प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांकः–13.09.2023

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि मौजा कुम्पलिया में खसरा संख्या 425 रकबा 34.7 बीघा, मौजा गोदारों की ढाणी में खसरा संख्या 157 रकबा 1.16 बीघा, खसरा संख्या 339 रकबा 51.08 बीघा एवं मौजा जोन्गुओं की ढाणी में खसरा संख्या 419 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 420 रकबा 15.16 बीघा, खसरा संख्या 423 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 424 रकबा 0.03 बीघा पटवार हल्का कुम्पलिया तहसील गिड़ा में कृषि भूमि आई हुई है। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि है जिसमें अपीलांटस का जन्म से ही हक नियत है। हस्तगत वाद में अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त आराजी में अपीलांटस के पिता का नाम दर्ज है जबकि आराजी पैतृक व सहदायिकी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांटस को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलांटस उतरदातागण संख्या 01 से 05 के साथ वादग्रस्त आराजी पर बाहामी बंटवारा कर अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हक की घोषणा का दावा पेश कर रखा है जो विचाराधीन होने से दौराने दावा बाला–बाला अपीलाधीन निर्णय से बंटवारा होने से अपीलांट का हित प्रभावित होगा व अपीलांट का महत्वपूर्ण हित निहित है, व अपील पेश करने का विधिक अधिकार रखते है। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलौच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में वर्णित आराजी का अपीलांट रेकर्डेड खातेदार नहीं था इस कारण आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अपीलांट को उक्त वाद की जानकारी प्रारम्भ से थी उसके बावजूद भी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही नहीं की इस कारण अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। हस्तगत अपील जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई उक्त निर्णय आज की दिनांक में प्रभाव में ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में वाद विस्तृत विवेचन निर्णय पारित किया गया। अपीलांटगण का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, तथा वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद में अपीलांटगण को पक्षकार नहीं है। अपीलांटस का हक अगर बनता है तो उसके पिता केशाराम के हिस्से में शामिल है। पिता तथा पुत्र के विवाद में अन्य सहखातेदारों के मध्य हो रहे बंटवारे को प्रभावित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलांटस अपने हकों के लिए सक्षम स्तर पर चाराजोही करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी की हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरती है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज योग्य है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर